

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11/6/19

वादी व उनके अधिकाता को कक रुक कर उबाए
रुकाज दिलायी गयी। यह रुकाज न्यायालय
में उपस्थित नहीं है।

रुका: वाद, वादी रुकाज हाजरी, रुकाज
जैवी में खासि किजा जाता है। पत्रावली
निर्णय में शुभा होकर नम्बर से रुका है
तथा वाद तामील तकमील काविले दफ्तार
हो।

उपसंहार अधिकारी
खानपुर (झालावाड)